स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार

आदेश

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 1748/2011– विश्राम ओझा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.04.2014 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"In this view of the matter, the order dated 29-07-2010 (Annexure 26) is set aside and the matter is again remanded back to the Principal Secretary, Health Department, Government of Bihar to examine the case of the petitioner about his absorption in the service of the College. As the matter is very old, he is dierected to conclude his enquiry within a period of four months from the date of receipt/ production of copy of this order.

With the aforesaid observation and direction this writ petition is allowed."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त आदेश के आलोक में श्री विश्राम ओझा, सेवामुक्त आशुटंकक, (दिनांक –22.05.2003 को सेवामुक्त) राजकीय श्री धनवन्तरी आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, अहिरौली, बक्सर के सेवामुक्ति के पश्चात् सेवा में पुर्नसमायोजन की अस्वीकृति से संबंधित स्वास्थ्य विभागीय सकारण आदेश संख्या 662 (दे0चि0) दिनांक 30.07.2010 की समीक्षा की गयी। इस सकारण आदेश में कुल सचिव, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के आदेश ज्ञापांक 3/140/06 दिनांक 19.10.2006 (3/142/06 त्रुटिपुर्ण टंकण) में दिये गये प्रतिवेदन के आलोक में वादी श्री विश्राम ओझा के मध्यमा के प्रमाण पत्र को जाली करार दिया गया था और इस आधार पर उनके सेवा में समायोजन के आवेदन को अस्वीकृत किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में वादी श्री ओझा के पक्ष में कुल सचिव, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के ज्ञापांक 1104/09 दिनांक 25.02.2009 द्वारा पारित आदेश एवं उनके ज्ञापांक 6390/10 दिनांक 25.06.2010 द्वारा पारित शुद्धि पत्र आदेश के द्वारा अपने पूर्व के उपरोक्त आदेश ज्ञापांक 3/140/06 दिनांक 19.10.2006 के आदेश को निरस्त किये जाने एवं वादी श्री ओझा के मध्यमा के प्रमाण पत्र एवं अंक पत्रों को सही करार दिये जाने के आलोक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत सकारण आदेश संख्या 662 दिनांक 30.07.2010 को समुचित नहीं माना जा सकता। पूर्ण समीक्षोपरांत निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं :–

1. स्वास्थ्य विभागीय सकारण आदेश संख्या 662(दे0चि0) दिनांक 30.07.2010 निरस्त किया जाता है एवं वादी श्री ओझा के दिनांक 15.06.2010 के अभ्यावेदन को स्वीकृत किया जाता है।

2. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 839(दे0चि0) दिनांक 29.08.2003 के क्रम संख्या 132 पर नामित श्री विश्राम ओझा, आशुटंकक की सेवा समाप्ति एवं इस क्रम में प्राचार्य, राजकीय श्री धनवन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अहिरौली, बक्सर के आदेश ज्ञापांक 136 दिनांक 22.05.2003 के क्रम संख्या 76 पर इनकी कार्य मुक्ति से संबंधित आदेश को भी निरस्त किया जाता है।

3. श्री विश्राम ओझा आशटंकक के निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही से संबंधित निर्गत स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 254(दे0चि0) दिनांक 25.03.2003 को निरस्त करते हुए उन्हें पूर्वधारित पद पर यथास्थिति पुर्नस्थापित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि दिनांक 25.03.2003 से कार्यमुक्ति अवधि दिनांक 22.05.2003 तक श्री ओझा को कर्तव्य वेतन अनुमान्य होगा किन्तु 23.05.2003 से सेवा में योगदान की तिथि के पूर्व तक **'कार्य नही तो वेतन नही'** के सिद्धांत के आधार पर इन्हें कोई वेतन अनुमान्य नहीं होगा।

5. कार्यमुक्ति से पुर्नपदस्थापन की बीच की अवधि मात्र पेशंनादि के प्रयोजनार्थ गणित की जायेगी।

6. श्री ओझा के योगदान को प्राचार्य, श्री धनवन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अहिरौली, बक्सर के द्वारा योगदान की तिथि से स्वीकार किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(डा0 श्याम सुन्दर सिंह)
निदेशक, देशी चिकित्सा

ज्ञापांक– सं0 16/सी.1–34/09 । पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/ निबंधक, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को उनके ज्ञापांक 1104/09 दिनांक 25.02.2009 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/प्राचार्य, श्री धनवन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अहिरौली, बक्सर/श्री विश्राम ओझा, आशुटंकक श्री धनवन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अहिरौली, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक, देशी चिकित्सा

ज्ञापांक– सं0 16/सी.1–34/09 11.56 (दे0चि0) पटना, दिनांक – 17/12/14

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2014

निदेशक, देशी चिकित्सा